न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 38/2019 (अपील)

नवेद अख्तर पुत्र फारूख अहमद जाति मुसलमान
निवासी–रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 21.02.2019 मि0नं0 16/2018 तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 सपठित धारा 90ए भू– राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति

श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–30.10.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम खैराबाद स्थित अपीलांट खातेदार के स्वयं के खाते की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3156 रकबा 0.68 हे0 बारानी द्वितीय, एवं ख0नं0 3158 रकबा 1.30 हे0 चाही तृतीय को अकृषि कार्य मैरिज गार्डन बनाकर उपयोग में लेने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 21.2.2019 से सिवायचक दर्ज किया गया है ।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 24.04.2019 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 3156 की 0.68 बारानी द्वितीय एवं खसरा नम्बर 3158 की 1.30 हे0 चाही तृतीय ग्राम खैराबाद स्थित आराजी को पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की उक्त आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजन भूमि को सिवायचक दर्ज करने में भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय की जानकारी प्रार्थी को दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

25.3.2019 को तहसील में जाने पर हुए जिस पर पटवारी द्वारा अपीलांट को बताया गया कि आपके विरूद्व उक्त खैराबाद की कृषि भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित करते हुए उक्त भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है । इस पर दिनांक 25.3.2019 को ही निर्णय की नकल प्राप्ति का आवेदन कर दिनांक 27.3.2019 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की है । नकल निर्णय दिनांक 21.2.2019 से नकल प्राप्ति दिनांक 27.3.2019 तक की अवधि कन्डोन किये जाने के पश्चात अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.2.2019 अपास्त फरमाया जावें एवं पत्रावली को इस आशयक के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें कि अपीलांट को समुचित जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसार प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 3156 की 0.68 बारानी द्वितीय एवं खसरा नम्बर 3158 की 1.30 हे0 चाही तृतीय ग्राम खैराबाद स्थित आराजी को पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की उक्त आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजन भूमि को सिवायचक दर्ज करने में भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.2.2019 अपास्त फरमाया जावें एवं पत्रावली को इस आशय के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें कि अपीलांट को समुचित जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस दौ बार तामिल होने के बावजूद अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जो उचित है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 24.04 2019 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02. 2019 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.03.2019 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह न्यायहित में क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है खातेदार नवेद अख्तर आत्मज फारूख अहमद जाति मुसलमान निवासी रामगंजमण्डी ने स्वयं के खाते की आराजी ख0नं0 3156 / 0.68 हे0 बा0 द्वितीय एवं ख0नं0 3158/1.30 हे0 चाही तृतीय ग्राम खैराबाद पर कृषि से अकृषि कार्य मैरिज मार्डन बनाकर उपयोग में लिया जाना बताया, इस पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 16/2018 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर धारा 91 सपठित धारा 90ए के तहत अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस दौ बार जारी होने एवं तामिल होने के बावजूद अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 21.2.2019 जारी कर उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये । अपीलांट का यह कथन साबित नहीं हो रहा है कि उक्त कार्यवाही की उनको जानकारी नहीं थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार दौ बार नोटिस अपीलांट को तामिल हुए है, अपीलांट द्वारा कृषि भूमि को बिना भू–उपयोग परिवर्तन कराए अकृषि मैरिज गार्डन एवं मकान आदि के उपयोग में लेना नियमों के विपरीत है, कोई भी कृषि भूमि बिना भूमि रूपान्तरण कराए अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा सकती है, इस बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कोई तथ्य या अण्डरटेकिंग पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2019 से की गई कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.2019 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner